85

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कम्पाउन्ड कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5रु. पाँच रुपये 20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

गणेश प्रसाद चौधरी तनय स्व. जागेश्वर प्रसाद चौधरी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कल्हारी वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ————————————————————निगराकार

प्र/लि./सतना/भू.रा./2017/2293

बनाम

1. लालमन चौधरी तनय स्व. श्री जवाहरलाल चौधरी निवासी ग्राम अमौधाकला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2. म0प्र0 शासन द्वारा हल्का पटवारी मौजा कल्हारी वृत्त रैगाव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ————गैर निगराकारगण

आवेदक द्वारा श्री ओ.पी. डी. आर. पाल द्वारा पेश/20-7-17 20-7-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0— 7ए5 / 2012—2013 आदेश दिनांक 24.08.2013

निगरानी अर्न्तगत धारा 250 म0प्र0 भू.रा.स. 1959

मान्यवर,

निगराकार ने जिस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैरनिगरकार / आवेदक लालमन चौधरी ने मौजा कल्हारी वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 स्थिति आराजी नं0—60 / 1क, 67 / अ / 3, 66अ / 1क / 2 एवं 267 / 1अ / 2 कुल रकवा 4.30 ए. भूमि के सम्बन्ध में नक्शा तरमीम हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

क्रमशः——2

गणेश प्रसाद

क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक– तीन/निग./17/2293 जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री डी. आर. पाल होकर उनके द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 7 ए–5/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2013 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ म्याद अधिनियम धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। 2– प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने म्याद अधिनियम धारा 5 के आवेदन में यह लेख किया है कि आदेश की कभी भी जानकारी पूर्व में आवेदक को नहीं हुई दिनांक 16.06.17 को हल्का पटवारी द्वारा उक्त आदेश की जानकारी हुई। आवेदक द्वारा दिनांक 03.07.17 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 10.07.17 को नकल प्राप्त हुई। 3– धारा 5 के आवेदन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मान भी लिए जाए कि दिनांक 10.07.17 को नकल प्राप्त हुई	

तो भी आवेदक के द्वारा दिनांक 20.07.17 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहीं भी दर्शित नहीं किया है कि 10.07.17 से 20.07.17 के बीच की अवधि का कोई उल्लेख अपने आवेदन में नहीं किया है, इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम धारा 5 के आवेदन में बताये हुए तथ्य समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रकरण अवधि बाह्य मानते हुए अग्राह्य किये जाने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7 ए–5/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2013 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य